कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC

सत्यमेव जयते

मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002
वेबसाइट www.esic.nic.in / www.esic.in
ईमेल rajbhasha-hq@esic.nic.in

संख्या : ए-49/16/02/2020-रा.भा. दिनांक: 06.6.2024

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल/ क.रा.बी.निगम अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

**विषय : कर्मचारी राज्य बीमा निगम इकाइयों में तैनात अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2023-2024**

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग की उपर्युक्त योजनानुसार जो अधिकारी वित्त वर्ष में हिंदी डिक्टेशन का अपेक्षित रिकॉर्ड रखते हैं वे इस योजना में भाग ले सकते हैं। हिंदी डिक्टेशन योजना के अंतर्गत कार्यालय प्रमुखों के साथ-साथ अन्य अधिकारी भी भाग ले सकते हैं। परंतु पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि इस प्रोत्साहन योजना में निगम के बहुत कम अधिकारी भाग लेते हैं। प्रतिभागियों की संख्या सीमित होने के कारण योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

अत: उक्त प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक अधिकारी इस योजना से परिचित हो सकें और उनमें हिंदी में काम करने और करवाने के प्रति रुचि उत्पन्न हो। इस योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी द्वारा डिक्टेशन का रिकॉर्ड निम्नलिखित विहित प्रपत्र में रखा जाना अपेक्षित है :-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **डिक्टेशन में लिखी गई पंक्तियों की संख्या** | **फ़ाइल संख्या** | **अभ्युक्ति** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र कार्यालयों (फील्ड यूनिट) के अधिकारियों (कार्यालय प्रमुख को छोडकर) के डिक्टेशन रिकॉर्ड की जांच संबंधित कार्यालय स्तर पर की जानी अपेक्षित है । इसमें विजेता अधिकारी को हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी वर्ग के अंतर्गत **₹ 5,000/- (पांच हजार रुपये केवल)** प्रत्येक को पुरस्कार देने की व्यवस्था है। इस प्रकार किसी कार्यालय में केवल दो पुरस्कार स्वीकृत किए जा सकते हैं।

उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वीकार्यता के लिए आवश्यक हिंदी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम संख्या 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयों मे हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 100 डिक्टेशन और हिंदीतर भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 डिक्टेशन होगी और 'ग' क्षेत्र में स्थित निगम कार्यालयो मे हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 75 डिक्टेशन और हिंदीतर अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष 60 डिक्टेशन होगी (मुख्यालय पत्र संख्या ए-49/14/16/89-हिंदी, दिनांक 24.11.1995 के अनुसार)। आशुलिपिक आदि संबद्ध न होने की स्थिति में हाथ से लिखी हुई पंक्तियां भी डिक्टेशन मानी जाएंगी। 10 पंक्तियों से कम के डिक्टेशन की गणना नहीं की जाएगी। इसके साथ न्यूनतम 10 नमूने भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अत: निवेदन है कि योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक एवं पात्र कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएं और अपने कार्यालय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत पुरस्कृत अधिकारियों की सूची मुख्यालय भिजवाई जाए।

**भवदीय,**

Signed by Shyam Kumar
Date: 06-06-2024 09:32:49
(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।

06.6.2024

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)